—:: कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::—

—:: विविध आदेश ::—

क्रमांक 128/ दो—8—1 / 2001 उज्जैन, दिनांक 14 नवम्बर, 2026

इस न्यायिक जिला स्थापना मुख्यालय/तहसील न्यायालयों में कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठखंड/कनिष्ठखंड के न्यायालयों का **दिनांक 31.12.2026** को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक निरीक्षण किये जाने हेतु विशेष न्यायाधीश/जिला न्यायाधीशों को उनके नाम के सामने अंकित व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठखंड/कनिष्ठखंड के न्यायालयों का वार्षिक निरीक्षण किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। यह भी निर्देशित किया जाता है कि निरीक्षणकर्ता पीठासीन अधिकारी संबंधित न्यायालयों का निरीक्षण किये जाने हेतु संलग्न प्रपत्र एवं निर्देश अनुसार निरीक्षण कर, निरीक्षण टीप को **15 दिवस में** आवश्यक रूप से मेरे अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें:—

क्रं.	न्यायाधीश का नाम	पदनाम	किस न्यायालय का निरीक्षण किया जाना है
01	श्री संजीव कुमार गुप्ता	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय उज्जैन	श्रीमती कोमल आंजना सिंह, प्रधान मजिस्ट्रेट बाल न्यायालय उज्जैन श्रीमती अपूर्वा मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उज्जैन
02	श्री अरविन्द प्रताप सिंह चौहान	विशेष न्यायाधीश (अजा/जजा) उज्जैन	श्री अश्विन परमार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्जैन श्रीमती सारिका भाटी, पंचम् व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उज्जैन श्रीमती पायल परमार ताम्रकार षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उज्जैन
03	श्री राकेश कुमार शर्मा	पंचम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन	श्रीमती ऋचा गोयल बंसल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बड़नगर सुश्री निर्मला पटेल, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खाचरौद सुश्री रत्नप्रिया श्रीवास्तव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड महिदपुर
04	श्री हर्ष भदौरिया	षष्ठम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन	श्रीमती शैफाली सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खाचरौद श्रीमती सोनम शर्मा तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड नागदा श्री यश शर्मा तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड उज्जैन
05	श्री राकेश बंसल	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन	श्री मनीष पाण्डेय, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नागदा श्री वेदान्त दीक्षित, सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड उज्जैन
06	श्री सुशील कुमार जोशी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन	श्री गौरव चौरसिया द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बड़नगर श्रीमती सौम्या विजयवर्गीय द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नागदा
07	श्री अमित कुमार गुप्ता	सप्तम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन	श्री शिरीष शुक्ला, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तराना श्रीमती भावना जाटवा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बड़नगर
08	श्री विकास चौहान	नवम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन	श्रीमती संगीता शुक्ला, प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तराना सुश्री अवनी व्यास, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बड़नगर
09	श्री हीरालाल अलावा	अष्टम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन	सुश्री चेतना दशोरा, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड महिदपुर श्री दीपक सोनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड तराना
10	श्रीमती नीतू कान्ता वर्मा	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खाचरौद	श्री पंकज गोण्डू भालेराव, पंचम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड उज्जैन श्री दीपक दाहिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड महिदपुर सुश्री स्वाति भार्गव, षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड उज्जैन
11	श्री नीरज शर्मा	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खाचरौद	श्री राघवेन्द्र पटेल, सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उज्जैन श्री अंशुल ताम्रकार, एकादश व्यवहार न्यायाधीश

क्रं.	न्यायाधीश का नाम	पदनाम	किस न्यायालय का निरीक्षण किया जाना है
			कनिष्ठ खण्ड उज्जैन
12	श्री विवेक शुक्ला	अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागदा	श्रीमती प्रियंका मालपानी राठी नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड उज्जैन सुश्री सृष्टि पटेल, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड उज्जैन
13	श्री चन्दर शेन मुवेल	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागदा	श्रीमती सोनाक्षी चतुर्वेदी शर्मा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उज्जैन श्रीमती प्राची सिंह पटेल, दशम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड उज्जैन
14	श्री राम बिलास गुप्ता	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़नगर	श्री अनुराग शर्मा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उज्जैन श्रीमती पूजा मदौरिया द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड उज्जैन
15	श्रीमती प्रेमा साहू	अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तराना	सुश्री दीपिका यादव द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उज्जैन श्रीमती श्वेता गौतम नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड उज्जैन
16	श्री कमलेश सनोड़िया	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश महिदपुर	श्री किशन देव सिंह पटेल द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उज्जैन सुश्री पारूल जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड उज्जैन

Sd/-

(पी.सी. गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

पृ.क्रमांक 8839 /दो–8–1/2001 उज्जैन, दिनांक 14 NOV 2026 नवम्बर, 2026

प्रतिलिपि :–

(1) श्री संजीव कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय उज्जैन
(2) विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.), उज्जैन।
(3) समस्त जिला न्यायाधीश उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ प्रेषित।
(4) समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर
(5) प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन।

की ओर सूचनार्थ एवं इस टीप के साथ प्रेषित कि संबंधित न्यायाधीशगण अपने–अपने न्यायालयों के संलग्न प्रपत्र एवं दिये गये निर्देश अनुसार प्रकरणों को निरीक्षण हेतु **संबंधित निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा मंगवाये जाने पर निर्धारित समयावधि में प्रेषित करें।**

Sd/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

निर्देश

- **समस्त** जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन/खाचरौद, नागदा, बड़नगर, महिदपुर, तराना को निर्देशित किया जाता है कि वे नीचे लिखे अनुसार प्रकरण व्यवहार न्यायाधीशगण से प्राप्त होने पर संलग्न निर्देश के अनुसार निरीक्षण करें एवं निरीक्षण टीप कार्यालय में 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रेषित करें। निरीक्षण टीप तैयार करते समय निरीक्षणकर्ता न्यायाधीशगण अपनी निरीक्षण टीप इस प्रकार अंकित करें कि प्रकरणों के विचारण/निराकरण के संबंध में निरीक्षण किये गये न्यायाधीशगण को मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।
- निरीक्षणकर्ता न्यायाधीशगण द्वारा जिन न्यायाधीशगण के न्यायालयों का निरीक्षण किया जायेगा, उनमें लंबित साम्पत्तिक प्रकरणों में उनके द्वारा निराकृत किये गये आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के आवेदन पत्रों का भी परीक्षण किया जावे।
- निरीक्षणकर्ता न्यायाधीशगण द्वारा जिन न्यायाधीशगण के न्यायालयों का निरीक्षण किया जायेगा, उनमें उनके न्यायालयों में लंबित सबसे पुराने विशेष प्रकरणों (special cases) का भी निरीक्षण करेंगे।
- साथ ही निरीक्षणकर्ता न्यायाधीशगण ऐसे लंबित आपराधिक प्रकरणों का भी निरीक्षण करेंगे जिनमें अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् 60 दिवस की अवधि से अधिक आरोप विरचित नहीं हुए हैं।
- इसके अतिरिक्त समस्त जांचकर्ता अधिकारीगण निरीक्षण किये जाने वाले न्यायाधीश से अपने विवेकानुसार 02 सिविल व 02 आपराधिक निराकृत एवं लंबित प्रकरणों को उनके न्यायालय से मंगाये जाकर जांच करेंगे तथा 02 सिविल एवं 02 आपराधिक प्रकरणों की सी.आई.एस. के माध्यम से अथवा भौतिक रूप से या स्केनिंग हुए निराकृत प्रकरणों की माह जनवरी–2026 से अक्टूबर–2026 तक की अवधि के निराकृत प्रकरणों की जांच करेंगे।
- समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठखंड/कनिष्ठखंड को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने न्यायालय में सबसे पुराने लंबित 01 आपराधिक एवं 01 साम्पत्तिक प्रकरण तथा आपके द्वारा वर्ष 2025 में निराकृत 01 सबसे पुराना विवादित (contested) साम्पत्तिक वाद प्रकरण एवं निराकृत 01 सबसे पुराना विवादित (contested) आपराधिक प्रकरण निरीक्षण हेतु प्रेषित करें।
- निरीक्षण के दौरान इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जावे कि अन्तर्वर्ती आवेदनों के निराकरण में कितनी तत्परता बरती गई एवं अभियोजन साक्षियों के न्यायालय में उपस्थित होने या प्रस्तुत करने बाबत् कितनी सजगता या तत्परता बरती गई तथा आपराधिक मामलों में साक्षियों के कथन लेखबद्ध करने में कितना प्रभावी नियंत्रण रखा और क्या अनावश्यक साक्षियों के कथन भी लेखबद्ध हुए हैं।
- दोषसिद्धि के मामलों में इस बात पर भी ध्यान दिया जावे कि कितना संतुलित दण्ड दिया गया तथा सिविल मामलों में साक्ष्य का मूल्यांकन एवं विवेचना का उल्लेख भी अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में किया जावे।
- सबसे पुराना निष्पादन प्रकरण एवं सबसे पुरानी एम.जे.सी. (सिविल, क्रिमिनल) का भी निरीक्षण किया जावे कि उसमें क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है, इसका भी निरीक्षण किया जावे।
- कितने सबसे पुराने अपंजीकृत परिवाद लंबित हैं, कितने उपार्पण के प्रकरण दो पेशियों से अधिक हैं, लंबित हैं, इसका भी निरीक्षण किया जावे।
- बाल न्यायालय के प्रधान मजिस्ट्रेट उनके द्वारा 16 से 18 वर्ष की आयु के आयु निर्धारण से संबंधित माह जनवरी से अक्टूबर 2026 के मध्य किये गये 02 आदेशों की प्रतियां भी निरीक्षण हेतु निरीक्षणकर्ता न्यायाधीश को प्रेषित करेंगे।

14-11-26

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)